

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 23/2019-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 जिसे सा.का.नि. 260 (अ) दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है ।”

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 7/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 को सा.का.नि 260 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।